



528

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियार म० प्र०

श्रीमती राजेश कुमारी देवी
निगरानी प्रकरण कमांक-
18/9/17

II/निगरानी/छतरपुर/श्रृंखला/सन्-2017
2017/3354

1- शोभा लाल तनय स्व० श्री जगदेव पटेल,

2- लाल बहादुर तनय स्व० श्री जगदेव पटेल,

3- चुनुवादी पत्नी स्व० श्री जगदेव पटेल,

4- लक्ष्मी देबी पटेल पुत्री स्व० श्री जगदेव पटेल,

समस्त निवासीगण ग्राम पाड़े पुरवा पोष्ट

छठी बम्हौरी तहसील चन्दला जिला छतरपुर म० प्र०

— निगरानीकर्तागण

बनाम

राजेश कुमार पटेल तनय श्री जागेश्वर पटेल निवासी ग्राम पाड़े पुरवा

पोष्ट छठी बम्हौरी तहसील चन्दला जिला छतरपुर म० प्र०

— गैर निगरानीकर्ता

आवेदन-पत्र धारा-50 म० प्र०
भू०रा०सं०-1959 निगरानी विरुद्ध
न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी
महोदय लवकुशनगर के अपील प्रकरण
कमांक- 127/अपील/2012 - 13 में
पारित आदेश दिनांक- 01/09/2017
से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्तागण सादर निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करते हैं कि:-

1- यह कि अनावेदक/ गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्तागणों के विरुद्ध एक अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय लवकुशनगर के न्यायालय में म्याद के बाहर प्रस्तुत की गई थी। जिसमें गैरनिगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3354


शोभालाल विरूद्ध राजेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 127/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 01-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p>	

31-01-19

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।
6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये।
7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

37


(आर.के. जैन)
सदस्य 31-01-19